

उत्तर प्रदेश शासन
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-4
संख्या-130/14-4-2019-144जी/2018
लखनऊ, दिनांक-22 फरवरी, 2019
अधिसूचना


प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उपधारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल एतद्वारा इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य की लोकलेखा के ब्याज अर्जित करने वाले खण्ड के अधीन मुख्य शीर्ष 8121-"सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ" के अन्तर्गत लघु शीर्ष "129-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (एस.सी.ए.एफ.)" के अधीन "राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि-उत्तर प्रदेश" के नाम से ज्ञात एक विशेष निधि के रूप में स्थापित करते हैं।

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव

संख्या-130(1)/14-4-2019 तददिनांक


प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
- 3- निजी सचिव, मा० वन मंत्री, उ०प्र०।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 5- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 7- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, उ०प्र० लखनऊ।
- 9- वन महानिरीक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय प्राधिकरण, (कैम्पा) वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली-110003।
- 10- मुख्य वन संरक्षक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैम्पा, उ०प्र०।
- 11-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को सी०डी० सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए अधिसूचना की 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 12-गार्ड फाईल/वन एवं वन्य जीव अनुभाग-1,2,3,5, उ०प्र० शासन।


(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या-130(2)14/4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ प्रेषित।


(संजय सिंह)
सचिव।